न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 69/2017 (उदयपुर आर्डर)

दीपा पिता कन्नीराम ब्राहमण, निवासी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर

..... अपीलान्ट

बनाम

1. शंकरलाल पिता भंवरलाल ब्राहमण, निवासी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

2. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा –75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर दि0 12–09–2017 प्रकरण संख्या 5/2014

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) : 1– श्री खेमराज डांगी अभिभाशक अपीलान्ट

2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय दिनांक

06–08–2019

प्रकरण क संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष हाल अपीलान्ट ने एक आवेदन अन्तर्गत नियम 14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन अधिनियम 1970 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 को मौजा घासा की आराजी नंबर 4190 में से 17 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया है, जो नियमों के

विपरीत है। आवंटित भूमि प्रार्थी के खातेदारी की आराजी नंबर 4180 व 4189 के मध्य स्थित है, जिससे प्रार्थी अपने खेतों पर आते जाते हैं। आवंटी का कभी भी उक्त भूमि पर कब्जा नहीं रहा है। आवंटन पूर्ण उद्घोषणा जारी नहीं की गयी है। भूमि मौके पर पड़त है तथा रास्ते के रूप में काम आ रजी है। अतः उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि बिलानाम सरकार दर्ज की जावे।

उक्त आवेदन का जवाब विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि का उसे विधिवत आवंटन किया गया है तथा वादग्रस्त भूमि कभी भी प्रार्थी के रास्ते के रूप में उपयोग में नहीं ली गयी है। आवंटन के 34 वर्ष बाद उक्त आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो निरस्त किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 12–09–2017 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 30–10–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाशक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट का अपने निर्णय में कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया है, जबकि मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आवंटी का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। आवंटित भूमि अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि के मध्य स्थित होकर वह उसका उपयोग रास्ते के रूप में करता चला आ रहा है, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त करते हुए कथित आवंटन निरस्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली के अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तो यह पाया कि जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 में विवादित भूमि रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षी संख्या 1 के नाम खातेदारी हक से दर्ज है तथा खसरा गिरदावरी अनुसार आवंटी द्वारा भूमि पर कब्जा आवंटो का है। आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 12–01–1983 को विपक्षी/रेस्पोन्डेन्ट को विधिवत आवंटन किया गया है तथा आवंटन पश्चात् उसे कब्जा भी सिपुर्द किया गया है। उक्त आवंटन वर्ष 1983 में किय जाने के बाद अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा वर्ष 2014 में अर्थात आवंटन के करीब 31 वष बाद उक्त आवंटन निरस्ती का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उभयपक्षों को सुनने के बाद विस्तृत विवेचन करते हुए यह माना है कि लम्बे वर्षो बाद आवंटन निरस्तो का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका कोई ठोस आधार नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय का उपरोक्त विवेचन उपलब्ध दस्तावेजों की रोशनी में उचित प्रतीत होता है, तद्नुसार हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12–09–2017 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 06–08–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर